न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 171/2025 बउनवानी संजय कुमार मीना **बनाम** तहसीलदार खण्डार
निवासी अनियाला तहसील खण्डार

Appeal Number- 321104491067838

GCMS No-2025/ 326

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
27.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 10.9.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " ***ग्राम अनियाला में सन् 2000 से आज तक हुई आवंटित भूमि एवं ख0न0 252 को लेकर कुल 5 बिन्दुओ की प्रमाणित सूचना*** " तहसीलदार खण्डार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार खण्डार की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक सूकाअ/भू.अ./2025/3474–75 दिनांक 27.11.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.9.2025 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 3473 दिनांक 27.11.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.9.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक 3473 दिनांक 27.11.2025 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर